



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के  
अधीन स्वायत्त संस्थान  
संभागीय कार्यालय, कोलकाता  
ई.बी.ब्लॉक, सैक्टर-  
1, लाबोनी, साल्टलेक, कोलकाता- 700064



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
An Autonomous Body under Ministry  
of Education,  
Govt .of India  
Regional Office, Kolkata, EB Block,  
Sector-1, Laboni, Salt Lake, Kolkata-700064  
Ph : 033 23372577(DC) / 23219490 (ACs)  
Email : [kvskolkata64@gmail.com](mailto:kvskolkata64@gmail.com),  
[acadrokolkata@gmail.com](mailto:acadrokolkata@gmail.com)  
Web: <https://rokolkata.kvs.gov.in/>

फा 25011/81/2021/केवीएस(कोल)/46961-47024

दिनांक: 12.02.2025  
मेल 14

प्राचार्य,  
समस्त केन्द्रीय विद्यालय,  
कोलकाता संभाग ।

विषय: सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) अनुसार संबन्धित आवश्यकता कारवाई हेतु ।  
संदर्भ: फा 11011/01/2017-KVS(HQ)/Admn.II/159-188 दिनांक 22.01.2025

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में केवीएस(मु.) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र दिनांक 22.01.2025 की प्रति आपको सूचना एवं उचित कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है । आपसे अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल एवं कोलकाता स्थित ए. एम. ए. की जानकारी OFFICE OF THE SECRETARY, CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE CO-ORDINATION COMMITTEE, KOLKATA के निम्नलिखित वैबसाइट पर उपलब्ध है ।

- (i) [www.itgoawbunit.org](http://www.itgoawbunit.org)
- (ii) [www.itefbengalcircle.org](http://www.itefbengalcircle.org)

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त वैबसाइट की जानकारी अपने विद्यालय के वैबसाइट पर अवश्य दे एवं आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) का अनुपालन सुनिश्चित करे ।

भवदीय  
( एस एल दीपंकर )

प्रशासनिक अधिकारी एवं जन सूचना अधिकारी